प्रेस नोट **31/01/2024**

मानिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के उपरांत एससीएसटी एक्ट में दोषसिद्ध 02 अभियुक्त 10-10 वर्ष के कठोर कारावास व ₹6000-6000 के अर्थदंड से हुये दंडित-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री अविनाश पाण्डेय के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के उपरांत माननीय विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट जनपद मऊ द्वारा आज दिनांक 31-01-2024 को, मु0अ0सं0 453/2009 धारा 323,325,504,506,304 भादवि व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट थाना हलधरपुर में दोषसिद्ध अभियुक्तगण शिवमुनी चौहान पुत्र स्व0 जंगी चौहान, अर्जुन पुत्र शिवमुनी चौहान निवासीगण तरवाडीह थाना हलधरपुर जनपद मऊ को कारित अपराध के लिए दस-दस वर्ष के कठोर कारावास की सजा व ₹6000-6000 जुर्माने के दण्ड से दंडित किया गया।

सजा कराये जाने में अपर शासकीय अधिवक्ता श्री सत्येन्द्र नाथ राय, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल निरीक्षक श्री घनश्याम यादव, मुख्य आरक्षी अनिल सिंह तथा न्यायालय पैरोकार मुख्य आरक्षी रामबचन थाना हलधरपुर का सराहनीय योगदान रहा।

मानिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के उपरांत चोरी मामले में दोषसिद्ध 05 अभियुक्त 07-07 वर्ष के कारावास व ₹7000-7000 के अर्थदंड से हुये दंडित-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री अविनाश पाण्डेय के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के उपरांत माननीय सिविल जज (सी0डी0) एफ0टी0सी0 जनपद मऊ द्वारा दिनांक 31-01-2024 को, मु0अ0सं0 366/2019 धारा 457,380, 411 भादवि थाना दोहरीघाट में दोषसिद्ध अभियुक्तगण सुक्खू वनवासी पुत्र मथुरा, राजू वनवासी पुत्र सुक्खू वनवासी, टिर्रु वनवासी पुत्र काशी वनवासी निवासीगण पक्जोपुर थाना बलुआ जनपद चन्दौली, मनोज वनवासी पुत्र रामराज वनवासी निवासी दईपुर रामपुर थाना बहरीयावाद जनपद गाजीपुर, दीपक वनवासी पुत्र मुल्लु वनवासी निवासी नेहालपुर थाना केराकत जनपद जौनपुर को कारित अपराध के लिए सात-सात वर्ष के साधारण कारावास की सजा व ₹7000-7000 जुर्माने के दण्ड से दंडित किया गया।

सजा कराये जाने में सहायक अभियोजन अधिकारी श्री अभिनव शुक्ला, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल निरीक्षक श्री घनश्याम यादव, मुख्य आरक्षी अनिल सिंह तथा न्यायालय पैरोकार मुख्य आरक्षी श्यामधर यादव थाना दोहरीघाट का सराहनीय योगदान रहा।

एक वांछित अभियुक्त तथा 02 वांरण्टी अभियुक्त गिरफ्तार-

आज दिनांक 31.01.2024 को जनपद के विभिन्न थानों द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान मुहम्मदाबाद पुलिस द्वारा भैसहामोड़ के पास से मु0अ0सं0 413/23 धारा 363,366.120बी भादवि0 में वांछित अभियुक्त मीरा राजभर पत्नी बाबुलाल राजभर निवासी अन्नुपार केरवा थाना मुहम्मदाबाद जनपद मऊ तथा घोसी

पुलिस द्वारा गिरफ्तार वारंण्टी अभियुक्त परशुराम चौहान पुत्र रामचन्द्र निवासी लाचीपुर थाना घोसी तथा कोतवाली पुलिस द्वारा गिरफ्तार वांरण्टी अभियुक्त तबस्सुम पत्नी जावेद निवासी हुसैनपुरा थाना कोतवाली जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।